

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

आगरा।

यूआईडी संख्या: UPFS / 2020 / 22251 / AGR/AGRA / 599 / CFO
सेवा में,

दिनांक: सितम्बर 12, 2020

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),
आगरा।

विषय:—रिलाइन्स बी०पी० मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या-651, ग्राम-चौमा शाहपुर, तहसील-किरावली, जनपद आगरा पर पेट्रोल पम्प(रिटेल आउटलेट) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:—आपके पत्रांक:71/आब०सहा०-एन०ओ०सी० दिनांक:05.09.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मैसर्स रिलाइन्स बी०पी० मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या-651, ग्राम-चौमा शाहपुर, तहसील-किरावली, जनपद आगरा पर पेट्रोल पम्प(रिटेल आउटलेट) की स्थापना हेतु जाँच आख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक:11.09.2020 को आवेदक द्वारा फायर सर्विस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है जिसका निस्तारण(ऑन लाइन एन०ओ०सी० निर्गत) अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक:12.09.2020 को कर दिया गया है(छायाप्रति संलग्न)।

अतः रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(अक्षय चरजन शर्मा)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-आगरा।

SURAJ KASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

Date : 24.09.2020

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/22251/AGR/AGRA/599/CFO

दिनांक: 11-09-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **Reliance BP mobility Limited** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **651 Chauma Shahpur, NH11, Agra** तहसील - **Kiraoli** प्लॉट एरिया **3000 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **80** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	1	0	6 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **Reliance BP mobility Limited** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Storage** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **Reliance BP mobility Limited** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-09-2020
स्थान : AGRA

Digitally Signed By
(AKSHAY RANJAN SHARMA)

[C0B000F03799A61BA4BAAAD109324E9850EBA84E]

12-09-2020

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

Date : 24.09.2020